




LABOUR DEPARTMENT HARYANA

[Home](#)[About](#) ▾[Labour laws](#)[Duties And Functions](#) ▾[RTS](#)[BRAP](#) ▾[E-Services](#) ▾[Miscellaneous](#) ▾[SO](#)

» [Scheme Detail / इस योजना का विस्तार](#)

[Home \(मुख्य पृष्ठ\)](#) > [Scheme detail \(इस योजना का विस्तार\)](#)

घातक बीमारियों के ईलाज के लिए वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h))



Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य

पंजीकृत कामगार को घातक बीमारियों जैसे कि कैंसर, टी.बी., एडस इत्यादि के इच्छोर ईलाज के लिए एक लाख रुपये तक की सहायता सरकारी नियमों के अनुसार प्रदान की जाती है।

लाभ प्राप्त करने की शर्तः

1. पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है।
2. सरकारी हस्पतालों के चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र।
3. ईलाज पर खर्च हुई राशि का मूल बिल।
4. घातक बीमारियों (कैंसर, टीबी, एडस इत्यादि) की स्थिति में इच्छोर ईलाज के लिए वित्तीय सहायता

Eligibility / पात्रता

- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Benefits / लाभ

Rs.0

Process / प्रक्रिया

Work Slip / काम पर्चे

[Download Work Slip](#)

Other Schemes / अन्य योजनाएं

- » [पंजीकृत निर्माण कर्मकार के इलैक्ट्रिक स्कूटर की खरीद प्रोत्साहन](#)
- » [कोचिंग कक्षों के लिए विर्ति वित्तीय सहायता](#)
- » [व्यवसायिक/तकनीकी संस्थाना महासभा सुविधा हेतु वित्तीय सहायता](#)
- » [विधवा पैंशन](#)
- » [कामगारों के मेधावी बच्चों \(छात्रों\) के लिए प्रोत्साहन राशी \(10वीं और 12वीं\)](#)
- » [प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता](#)
- » [शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता \(नियम 6\)](#)
- » [बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता \(सुप्र \(शादी के तीन दिन पूर्व\) \(नियम 61\)](#)
- » [मातृत्व लाभ \(नियम 50\)](#)
- » [पितृव लाभ \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [औजार \(टूल किट\) खरीदने हेतु उपदान \(नियम 55\)](#)
- » [मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [सिलाई मशीन योजना \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [साईंकिल योजना \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [कन्यादान योजना \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता \(सुप्र \(नियम 61\)](#)
- » [बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता \(सुप्र \(नियम 61\)](#)
- » [पैतृक घर जाने पर किराया \(धारा 22\(1\)](#)
- » [मुफ्त भ्रमण सुविधा \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [अंपगता सहायता \(नियम 59\)](#)
- » [अंपगता पैंशन \(नियम 54\)](#)
- » [चिकित्सा सहायता \(मजदूरी क्षतिपूर्ति\) \(नियम 59\)](#)
- » [घातक बीमारियों के ईलाज के लिए वित्तीय सहायता \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण \(नियम 53\)](#)
- » [पैंशन की योजना \(नियम 51\)](#)
- » [परिवारिक पैंशन \(नियम 62\)](#)
- » [मुख्यमंत्री सामिजिक सुरक्षा योजना \(नियम 57\)](#)
- » [मृत्यु सहायता \(नियम 57\)](#)
- » [दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता \(नियम 56\)](#)